

प्रेषक,

आलोक यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन),
उ०प्र०, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-1

विषय- प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारण के संबंध में।

लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2019

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2875/शिक्षा-, दिनांक 07.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में शैक्षणिक सत्र 2019-20 के अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आल इन्डिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इन्ड्रेन्स टेस्ट (ए०आई०ए०पी०जी०ई०टी०) -2019 की मेरिट के आधार पर काउन्सिलिंग कराकर प्रवेश लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- आल इन्डिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट इन्ड्रेन्स टेस्ट(ए०आई०ए०पी०जी०टी०)-2019 की मेरिट सूची के आधार पर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) ए०आई०ए०पी०जी०ई०टी० -2019 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विवरण निम्नवत् है:-

(क) काउन्सिलिंग हेतु विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना -
ए०आई०ए०पी०जी०ई०टी०- 2019 के माध्यम से अहं घोषित छात्रों के आन लाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है। विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने हेतु निदेशक आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), निदेशक यूनानी एवं निदेशक होम्योपैथ की समिति गठित कर ब्रोशर तैयार किया जाना अपेक्षित है।

(ख) छात्रों के आनलाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तैयार किया जाना-
ए०आई०ए०पी०जी०ई०टी० -2019 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए आयुष विधाओं के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सों में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रवेश हेतु प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा अनलाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अनलाइन पंजीकरण के क्रम में प्राप्त प्रिन्ट आउट अनुमन्य होगा। अभ्यर्थी के सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग के समय कराया जाना अपेक्षित है।



(2) आयुष विधा के पी०जी० पाठ्यक्रम (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथ कालेजों में पी०जी० कोर्स के विभिन्न विषयों) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग की अन्तिम तिथि 30.09.2018 के अनुक्रम में समय सारणी निम्नवत् हैः-

क्र०सं०	विवरण	दिनांक / अवधि
1	आनलाइन पंजीकरण	24.08.2019 से 28.08.2019 तक (05 दिवस)
2	उ०प्र० में पंजीकृत अभ्यर्थियों की मेरिट सूची का प्रकाशन	30.08.2019 (01 दिवस)
3	प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग	04.09.2019 से 06.09.2019 तक (03 दिवस)
4	प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	09.09.2019 (01 दिवस)
5	द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग	16.09.2019 (01 दिवस)
6	द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से आवंटित अभ्यर्थियों के प्रवेश की अन्तिम तिथि	19.09.2019 (01 दिवस)

नोट:- आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि परिवर्धित किये जाने के उपरान्त यदि आवश्यकता होगी तो अग्रिम चक्रों एवं मॉपअप चक्र की काउन्सिलिंग की तिथि काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(3) पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया

- केवल वही अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे जो अभ्यर्थी ए०आ॒ई०ए०पी०जी०ई०टी० 2019 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुये हों तथा आयुष विधा में प्रवेश की अर्हता रखते हों।
- यू०पी०पी०जी० आयुष 2019 की काउन्सिलिंग हेतु वेबसाइट (जिसका उल्लेख ब्रोशर में होगा) पर पंजीकृत होना आवश्यक है।

अभ्यर्थी काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण के लिए वेबसाइट पर ए०आ॒ई०ए०पी०जी०ई०टी० 2019 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुये आयुष पी०जी० काउन्सिलिंग 2019 के लिए दिये गये लिंक को क्लिक करें एवं वहां दिये गये निर्देशों के अनुसार पंजीकरण करें।

प्रथम काउन्सिलिंग में पंजीकरण शुल्क नान रिफण्डेबल (Non Refundable) सभी श्रेणियों के आवेदकों द्वारा स्वयं वहन करना होगा। भुगतान केवल ऑनलाइन पेमेंट (Online Payment) द्वारा ही होगा। पंजीकरण शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा। समस्त शुल्क प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक बोर्ड के आदेशानुसार किया जायेगा।

(4) आयुष विधा में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग का स्थान :-

काउन्सिलिंग प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थियों को स्वयं ए०आ॒ई०ए०पी०जी०ई०टी० 2019 के स्कोर कार्ड तथा निम्नवत् प्रलेखों, मूल एवं एक-एक छायाप्रति (स्वतः प्रमाणित) सहित नियत स्थान तथा समय पर उपस्थित होना होगा। काउन्सिलिंग राजकीय आयुर्वेदिक कालेज एवं चिकित्सालय, तुलसीदास मार्ग, दुड़ियांग, लखनऊ में सम्पन्न होगी।

(5) AIAPGET 2019 के माध्यम से अर्ह घोषित छात्रों के आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के पी०जी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा आरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश -

अर्हताये (Eligibility)

01. राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेजों हेतु अर्हताएँ-
- (क) मात्र ऐसे अभ्यर्थी जो AIAPGET 2019 द्वारा अर्ह घोषित हुए हों तथा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगें।
- (ख) अभ्यर्थी की अनिवार्य इंटर्नशिप प्रवेश की अन्तिम तिथि (30 सितम्बर 2019) तक पूर्ण होनी चाहिए।
- (ग) प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों की कुल सीटों में 75 प्रतिशत सीटें प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगी तथा 25 प्रतिशत सीटें अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेगी। अन्य प्रदेश के पंजीकृत अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उन सीटों को प्रदेश के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जायेगा।
- (घ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बी0ए0एम0एस0 / बी0यूएम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित सीटों हेतु अर्ह होंगे। उत्तर प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा अन्य प्रदेशों में विधि द्वारा स्थापित एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बी0ए0एम0एस0 / बी0यूएम0एस0 / बी0एच0एम0एस0 उपाधि उत्तीर्ण अभ्यर्थी अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी की श्रेणी हेतु अर्ह होंगे।
- (ड) प्रदेश के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित सीटों पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमन्य आरक्षण रोस्टर प्रणाली द्वारा प्रदान किया जायेगा (अनुसूचित जाति-21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति- 02 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग- 27 प्रतिशत)।
02. निजी क्षेत्र की आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थाओं हेतु अर्हताएँ-
- (क) मात्र ऐसे अभ्यर्थी जो AIAPGET 2019 द्वारा अर्ह घोषित हुए हों तथा निर्धारित आनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेगें।
- (ख) अभ्यर्थी की अनिवार्य इंटर्नशिप प्रवेश की अन्तिम तिथि (30 सितम्बर 2019) तक पूर्ण होनी चाहिए।
- (ग) निजी क्षेत्र की समस्त आयुर्वेदिक/ यूनानी/ होम्योपैथी शिक्षण संस्थाओं की सभी सीटों पर प्रदेश अथवा अन्य प्रदेश के अभ्यर्थी अर्ह होंगे (अर्थात् प्रदेश एवं अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों में कोई भी श्रेणी विभाजन नहीं होगा)।
- (घ) समस्त सीटों पर किसी प्रकार का उर्ध्वाधर/ क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।
- (6) शैक्षिक अर्हता

अभ्यर्थी को अर्हकारी परीक्षा (AIAPGET 2019) में निम्नलिखित अर्हता होनी आवश्यक है-

क्र0सं0	श्रेणी	अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको का परसेन्टेज़िल
1.	सामान्य श्रेणी	50
2.	अनुसूचित जाति	40
3.	अनुसूचित जनजाति	40
4.	अन्य पिछड़ा वर्ग	40
5	सामान्य श्रेणी के दिव्यांग	45
6	आरक्षित श्रेणी के दिव्यांग	40

(7) आरक्षण Reservation

01. आरक्षण:- राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेजों की सीटों पर निम्नानुसार आरक्षण अनुमन्य होगा-

- (i) अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी – 21 प्रतिशत
- (ii) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी – 02 प्रतिशत
- (iii) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी – 27 प्रतिशत

हजारों शात्र) की धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होगा। धरोहर राशि जमा करने हेतु वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक को क्लिक कर राशि जमा करना होगा।

(10) काउन्सिलिंग बोर्ड -

ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0 2019 की मेरिट सूची को अंगीकार करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विधा के पी0जी0 पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के नामों का पैनल प्रेषित किया जा रहा है-

काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु प्रस्तावित अधिकारियों का विवरण	काउन्सिलिंग बोर्ड में अधिकारियोंकी प्रास्थिति	प्रस्तावित नाम
काउन्सिलिंग हेतु शासन द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष	श्री आलोक यादव, विशेष सचिव आयुष विभाग उ0प्र0 शासन।
शासन द्वारा नामित निदेशक	सदस्य सचिव	डा० सुरेश चन्द, निदेशक आयुर्वेद, (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) उ0प्र0 लखनऊ।
आयुष विभाग उ0प्र0 शासन द्वारा नामित प्रतिनिधि		श्री शैलेन्द्र कुमार, उप सचिव आयुष विभाग उ0प्र0 शासन।
शासन - द्वारा नामित किसी राजकीय आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर	सदस्य	<p>अनुसूचित जाति श्रेणी-</p> <p>डा० माखन लाल, प्रोफेसर राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज लखनऊ।</p> <p>अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी-</p> <p>डा० अशोक कुमार, प्रोफेसर राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ।</p> <p>अनारक्षित श्रेणी-</p> <p>प्रो० प्रकाश चन्द्र सकरेना, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ।</p> <p>अल्पसंख्यक श्रेणी-</p> <p>डा० नफासत अली, प्रोफेसर, राजकीय तकमील उत्तिब कॉलेज, लखनऊ।</p>
निदेशक आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन) / यूनानी / होम्योपैथ द्वारा नामित एक-एक अधिकारी	सदस्य	सम्बन्धित निदेशक द्वारा नामित किया जायेगा।
निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी अल्पसंख्यक श्रेणी के कालेजों से नामित	सदस्य	<p>1-प्रतिनिधि- देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द सहारनपुर।</p> <p>2-प्रतिनिधि- एस0जी0एम० आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज गाजीपुर।</p> <p>3- प्रतिनिधि नैमीनाथ होम्योपैथी मेडिकल कालेज नोयडा।</p>

4- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


३

(आलोक यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी०सी०आई०एम०), नई दिल्ली।
- 2- केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सी०सी०एच०), नई दिल्ली।
- 3- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, यूनानी सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन))।
- 7- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (निदेशक, यूनानी सेवायें)।
- 8- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथ महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (निदेशक, होम्योपैथ)।
- 9- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ०प्र० (निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन))।
- 10- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ०प्र० (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)
- 11- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ०प्र० (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
- 12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 13- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष विभाग, उ०प्र०।
- 14- श्री आलोक यादव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष काउंसिलिंग कमेटी।
- 15- श्री शैलेन्द्र कुमार, उप सचिव आयुष विभाग उ०प्र० शासन सदस्य काउंसिलिंग कमेटी।
- 16- काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य (निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन))।
- 17- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(शैलेन्द्र कुमार)
उप सचिव।


कार्यालय,
निदेशक आयुर्वेद,
(पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन),
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या— ३०२५

/शिक्षा—२३५५/२०१९/पी०जी०

दिनांक १९ अगस्त, २०१९

१. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी०सी०आई०एम०), नई दिल्ली।
२. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सी०सी०एच०), नई दिल्ली।
३. उप सचिव, आयुष अनुभाग—१, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या—४४६९/९६—आयुष—१—२०१८—२९४/२०१९ लखनऊ दिनांक १३ अगस्त, २०१९ के क्रम में।
४. निदेशक, यूनानी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
५. निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र०, लखनऊ।
६. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र०।
७. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (निदेशक, यूनानी सेवायें)।
८. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथ महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (निदेशक, होम्योपैथ)।
९. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज / विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान, उ०प्र०।
१०. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज / विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान, उ०प्र०। (द्वारा निदेशक यूनानी सेवायें)।
११. समस्त प्रबन्धक / प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज / विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान, उ०प्र०। (द्वारा निदेशक होम्योपैथी)।
१२. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
१३. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष विभाग, उ०प्र०।
१४. श्री आलोक यादव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष काउंसिलिंग कमेटी।
१५. श्री शैलेन्द्र कुमार, उप सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य काउंसिलिंग कमेटी।
१६. काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य।
१७. गार्ड फाइल।


१९/८/१९
(प्रो० सुरेश चन्द्र)
निदेशक, आयुर्वेद
(पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन)।